

लोक-सुनवाई का वृत्त

मेसर्स वशिष्ठ नारायण सिंह कंस्ट्रक्शन प्रा० लिमिटेड, प्रस्तावक, श्री वशिष्ठ नारायण सिंह, पिता-श्री रामप्रीत सिंह, नूपुर फतरा, बाजार समिति, पटना सिटी, पटना के द्वारा किउल नदी ब्लॉक-14 बालू घाट, मौजा-कटौना, प्रखंड-जमुई, जिला-जमुई में बालू खनन योजना का पर्यावरणीय स्वीकृति के उद्देश्य से लोक-सुनवाई पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं०- एस. ओ. 1553, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के आलोक में दिनांक 20.06.2023 को अपराह्न 03:00 बजे प्रखंड सभागार जमुई, जिला-जमुई के प्रांगण में लोक सुनवाई आयोजित की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, दिनांक 14.09.2006 के तहत राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी०ओ०आर० (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या- SIA/1(a)/ 2318/2023, दिनांक 22.02.2023 के आलोक में रामदुलार राम, अपर समाहर्ता-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जमुई की अध्यक्षता में की गयी। उपस्थित पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)

प्रसंगाधीन लोक-सुनवाई की सूचना पर्षद द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा- "द टाइम्स ऑफ इंडिया, पटना" एवं "प्रभात खबर", भागलपुर संस्करण के माध्यम से दिनांक 17.05.2023 को प्रकाशित की गयी है (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक सुनवाई के दौरान एस० एन० झा, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, भागलपुर के द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जन समुदाय, खनन पट्टाधारक एवं पदाधिकारीगण का स्वागत करते हुए पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

अपर समाहर्ता के द्वारा उपस्थित लोगों को लोक-सुनवाई के उद्देश्य से अवगत कराया गया तथा लोगों से इस योजना से संबंधित पर्यावरण के मुद्दों पर सुझाव/आपत्ति दर्ज कराने हेतु अनुरोध किया गया।

तदोपरांत परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री राजेश कुमार विश्वास ने प्रस्तावित बालू खनन योजना का परिचय, उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं सोशल पर्यावरण रेस्पॉन्सिबिलिटी आदि के संबंध में अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि-

1. यह बालू खनन पट्टा किउल नदी ब्लॉक-14 बालू घाट, मौजा-कटौना, प्रखंड-जमुई, जिला-जमुई में प्रस्तावित है। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा श्री वशिष्ठ नारायण सिंह को इस खनन पट्टा के लिए सैद्धांतिक स्वीकृत आदेश (L.O.I.) निर्गत किया गया है। इस खनन पट्टा ब्लॉक- 14 में 51.80 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्रतिवर्ष 640248 टन बालू का खनन प्रस्तावित है। इस योजना का कुल अनुमानित लागत ₹591.52 लाख (निलामी लागत सहित) अनुमानित है। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में बालूघाट के ब्लॉक संख्या- 14 को सम्मिलित किया गया है।
2. बालू खनन, खनन पट्टा के सीमा के अंदर "वैज्ञानिक विधि" तथा अनुमोदित "खनन योजना" के अनुसार किया जाएगा तथा इस योजना के कार्य के क्रियान्वयन से पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के नियंत्रण के लिए विशेष उपाय पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन में दर्शाए गए हैं।

3. खनन में ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग का प्रयोग नहीं किया जायेगा। खनन कार्य अर्द्ध-मशीनीकरण व्यवस्था के साथ किया जायेगा जिसमें यांत्रिक उपकरणों के साथ मानव संसाधन का भी उपयोग किया जायेगा। बरसात एवं बाढ़ की अवधि में खनन नहीं किया जायेगा। जल प्रवाह वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं किया जायेगा। केवल सूखे स्थल पर ही खनन की कारवाई की जायेगी।
4. प्रस्तावित बालू खनन क्षेत्र के चारों ओर सुरक्षा क्षेत्र छोड़ा जाएगा जिससे नदी तट को कोई नुकसान नहीं हो। खनन का कार्य केवल 1 मीटर तक की गहराई अथवा भूगर्भीय जल सतह के ऊपर तक ही सीमित रहेगा।
5. खनन क्षेत्र में वाहनों के आवागमन हेतु अस्थायी व वैकल्पिक मार्ग का निर्माण ग्रामवासियों से परामर्श लेकर तथा सहमति बनाकर किया जाएगा। बालू को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में ओवर-लोडिंग नहीं किया जायेगा। इस मार्ग के रख-रखाव का दायित्व परियोजना प्रस्तावक का होगा।
6. खनन परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व सभी संवेदनशील स्थानों पर जैसे- मार्गों, खनन क्षेत्र इत्यादि पर चेतावनी/सावधानी सूचना पट्ट लगाए जाएंगे तथा आकस्मिक आपदा की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सेवाओं के सूचना/मोबाईल नम्बर उल्लिखित किए जाएंगे।
7. प्रस्तावित परियोजना में वृक्षारोपण का प्रावधान किया गया है जो ग्रामीणों के परामर्श पर उपलब्ध भूमि, मार्गों के दोनों ओर एवं ग्राम के मध्य लगाए जाएंगे। इन पौधों की देखभाल अगले पाँच वर्षों तक परियोजना प्रस्तावक के द्वारा की जाएगी।
8. खनन क्षेत्र व निकटवर्ती गाँव के मध्य सघन वृक्षारोपण से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा। ध्वनि प्रदूषण को मानकों के अनुरूप बनाए रखने के लिए रात्रि में वाहनों द्वारा ध्वनि यंत्रों (Horn) का न्यूनतम प्रयोग किया जाएगा। उच्च दबाव वाले ध्वनि यंत्रों (High Pressure Horn) का उपयोग करने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा। इसके साथ ही रात्रि के समय खनन प्रक्रिया पूरी तरह बन्द रहेगी तथा एकत्र खनिज को ही निर्गत किया जाएगा।
9. खनन कार्य व खनिज के परिवहन से उत्पन्न धूल कणों के नियंत्रण हेतु प्रतिदिन तीन बार जल का छिड़काव किया जाएगा। खदान से निर्गत बालू को तिरपाल से ढक कर निर्गत किया जाएगा। सरकार द्वारा अनुमोदित खनिज को खदान से 300 मीटर की दूरी पर एकत्र कर वहां से निर्गत करने से खनिज से रिसने वाला जल मार्गों को जलमग्न नहीं होने देना खनिज में उपलब्ध नमी से धूलकणों के उत्सर्जन का नियंत्रण हो सकेगा।
10. खनन क्षेत्र में प्रदूषण मानकों का पालन करने वाले वाहनों (PUC धारक) का उपयोग किया जाएगा तथा इसका रिकार्ड रखा जाएगा। खनन क्षेत्र में आवागमन करने वाले वाहनों की गति सीमा निर्धारित होगी तथा तेज गति से चलने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा।
11. प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से एक प्रबन्धन प्रकोष्ठ बनाया जाएगा जो सभी प्रकार की व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करेगा व समय-समय पर ग्रामवासियों से इसकी जानकारी एवं सुझाव प्राप्त करेगा।

2

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित लोगों के द्वारा सुझाव/मंतव्य दिए गए जो निम्नवत् हैं-

क्रमांक	प्रतिक्रिया/सुझाव	प्रस्तावक के जवाब
1.	श्री सुनिल कुमार, ग्राम-कटौना, जिला-जमुई के द्वारा अनियमित खनन के कारण भू-जल स्तर गिरने की चिंता व्यक्त की गई तथा इसके रोकथाम के लिए कारवाई की जानकारी मांगी गई।	प्रस्तावित परियोजना में सिर्फ 1 मीटर के गहराई तक ही खनन करने की अनुमति है। किसी भी तरह का अवैध खनन नहीं किया जायेगा। खनन सिर्फ सुखे क्षेत्र में ही किया जायेगा। खनन के दौरान नदी के प्रवाह को बाधित नहीं किया जायेगा। सोशल पर्यावरण रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत गांव में पुराने चापाकल की मरम्मत या नये चापाकल लगाने की व्यवस्था की जायेगी। भूजल स्तर की मॉनिटरिंग किया जाने का प्रस्ताव है।
2.	श्री राजेश कुमार, कटौना, जमुई के द्वारा प्रस्तावित खनन परियोजना से रोजगार के अवसर की जानकारी मांगी गई।	प्रस्तावित खनन परियोजना में स्थानीय लोगों को उनकी योग्यता के आधार पर काम में प्राथमिकता दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त कई अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होगा।
3.	श्री सनोज कुमार, सतगामा, जमुई के द्वारा ट्रक लोडिंग से धूल-मिट्टी उड़ने से रोकने की व्यवस्था की जानकारी मांगी गई।	बालू लदे वाहनों को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा। धूल-कण के दमन हेतु जल-छिड़काव एवं वृक्षारोपण किया जायेगा।
4.	श्री बब्लु कुमार, ग्राम-सतगामा, जिला-जमुई के द्वारा खनन परियोजना में उपयोग किये जाने वाले वाहनों के आवागमन के कारण ग्रामीणों विशेषकर बच्चों को संभावित दुर्घटना से बचाने के व्यवस्था की जानकारी मांगी गई।	खनन में उपयोग होने वाले वाहनों को गांव के बीच से नहीं लाया जायेगा। वाहनों का परिवहन गांव से बाहर किया जायेगा। विद्यालय खुलने एवं बंद होने के समय वाहनों का परिवहन नहीं किया जायेगा। रात के समय खनन का कार्य नहीं कराया जायेगा।

लोक-सुनवाई के समापन में अपर समाहर्ता सह सभा के अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि बालू एक नैसर्गिक स्रोत है जिसका संवेदनशील तरीके से उपयोग किया जाना आवश्यक है। इसके अत्यधिक दोहन से पर्यावरण को काफी नुकसान होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। साथ ही इसका समुचित दोहन से स्थानीय एवं राज्य स्तर पर आर्थिक लाभ होता है। पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण हेतु उपाय सुझाए गए हैं। इसका क्रियान्वयन की निगरानी आपके स्तर से होनी चाहिए एवं आवश्यकता पड़ने पर इसकी सूचना जिला प्रशासन को शीघ्र देने पर व्यवस्था को नियंत्रित किया जा सकेगा।











लोक-सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्तावित बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक-सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।
















Shambh
21-6-2021
क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि०रा०प्र०नि०प०र्षद,
भागलपुर।

अपर समाहर्ता
जमुई।

उपस्थिति सूची

मेसर्स वशिष्ठ नारायण सिंह कंस्ट्रक्शन प्रा० लिमिटेड, श्री वशिष्ठ नारायण सिंह, पिता-श्री रामप्रीत सिंह, नूपुर फतरा, बाजार समिति, पटना सिटी, पटना द्वारा जमुई किउल नदी ब्लॉक 14 बालू घाट, मौजा-कटौना, ब्लॉक-जमुई, जिला-जमुई का बालू खनन परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 20.06.2023 को अपराहन् 03:00 बजे लोक सुनवाई का स्थल: प्रखंड सभागार जमुई, जिला-जमुई में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूची:

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	Ramesh Kumar	Adm (PGR) Cell SPERO Patna	 20/6/23
2.	Shambhu Nath	Regional officer Bhagalpur B. S. P. C. D.	 20-6-23,
3.	जीपाम सिंह	प्रखंड सभागार जमुई	 20/06/2023
4.	Spruha	Mines inspector	 20/6/2023
5.	Arish Kumar	Asst. Scientific officer BSPCB, Bhagalpur	 20/06/23
6.	Rajesh Kumar Vishwas	Environment Consultant P&M Solution (Moida)	
7.	Chandan Yadav	Katara	
8.	Sanil Kumar	Katara	
9.	जमुई जमात	कटौना जमुई	
10.	जमुई जमात	कटौना जमुई	

11.	flannessiam	Satgama	
12.	Ministry of Health	Satgama	
13.	Mukesh Kumar	Satagama	
14.	जि. ए. ए.	Satagama	
15.	हरीश 2025	हरिशा	
16.	विनाय कर्ना	विनाय	
17.	उत्केश पाण्डे	करीना	
18.	वनी ५ पाण्डे	करीना	
19.	व्याज कर्ना	विनाय	
20.	Vinod Kumar	Satgama	
21.	Vinay Kumar	Satgama	
22.	Rupesh	Satgama	
23.	Bicku kumar	Katona	
24.	Sajikant	Katona	
25.	शिवशंकर 2025	शिवशंकर	

26.	शरद कर्णिक	कर्णिका	Sarad
27.	सहाय सुभाष	कर्णिका	Sahay
28.	शुभाष कुमार	कर्णिका	Shubh-K
29.	सुभाष कुमार	कर्णिका	Subh-K
30.	रिंक कुमार	कर्णिका	Rink
31.	सुभाष	कर्णिका	Su
32.	Amit	Katauns	Amit
33.	सुभाष	कर्णिका	Su
34.	सुभाष	कर्णिका	Su
35.	सुभाष	कर्णिका	Su
36.	सुभाष	कर्णिका	Su
37.	Manoj	Satgama	Manoj
38.	KAMAL	SATGAMA	KAMAL
39.	Rincol	Katauns	Rincol
40.	RANJAY	SATGAMA	RANJAY